<u>न्यायालयः–</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, बूंदी।

Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

सोहनलाल बनाम सत्यनारायण

CIS No. Cri.Reg.Case/35/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	परिवादी व अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सफाई में मुख्य परीक्षा के बदले अभियुक्त को हल्फनामा (शपथ पत्र) पर अपनी साक्ष्य/साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया। दिनांक 12.01.2024 को अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और आज उक्त के आधार पर साक्ष्य सफाई में शपथ पत्र पर अभियुक्त द्वारा साक्ष्य दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 145 (1) के प्रावधान के आलोक में अभियुक्त को मुख्य परीक्षा के बदले शपथ पत्र पर अपना साक्ष्य दिये जाने/पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 145 (1) के तहत प्रावधान केवल शिकायतकर्ता को इस तरह की साक्ष्य देने के लिये बाध्य किया है। यह मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Mandvi Cooperative Bank Ltd. v. Nimesh B. Thakore,** (2010) 3 SCC 83, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Rajeshwar Dayal Pareek v. Alankar Marble and Grenite and Ors,** 2023 (4) RLW 2864 (Raj.) व माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Kadiveti Ramanaiah v. Ponguri Prabhakara Reddy & Anr.**, Criminal Petition No.1594 of 2020 decided on 21.12.2023 से समर्थित है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त सत्यनारायण को शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत की जाने की अनुमति अस्वीकार की जाती है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र को पत्रावली के ''सी'' भाग में संलग्न किया जाये। अभियुक्त साक्ष्य प्रतिरक्षा में स्वयं को प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षित करवाने के लिये स्वतंत्र है। साक्ष्य सफाई हेतु अभियुक्त को तीन अवसर दिये जा चुके हैं। अंतिम अवसर न्यायहित में प्रदान किया जाता है। पत्रावली साक्ष्य सफाई हेतु दिनांक 28.02.2024 को पेश हो। **(विकास नेहरा)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, बूंदी**	